



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञापित प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञापित प्रकाशन का कारण
1	श्री खेमचन्द कुमावत पुत्र श्री नाथूलाल	श्री लव मीणा पुत्र श्री पी एम मीणा	105	388.8	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
2	श्रीमती मंजू तेतरवाल पत्नी श्री सत्यवीर तेतरवाल	श्री शंकर लाल महीपाल पुत्र श्री लीलाधर	50	444.40	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
3	श्रीमती अर्चना गुप्ता पत्नी श्री राजेन्द्र मंगला	श्री आर.के.सोनी पुत्र श्री ए.सी.सोनी	119	388.80	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
4	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री रोहिताश्व कुमार	श्रीमती ललिता वर्मा पत्नी श्री प्रेमप्रकाश	35	444.00	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
5	श्री विनोद कोठारी पुत्र श्री दयाराम कोठारी	श्री आशीष सोनी पुत्र श्री आर.के.सोनी	118	194.44	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
6	श्री सुरेन्द्र कोठारी पुत्र श्री दयाराम कोठारी	श्री आशीष सोनी पुत्र श्री आर.के.सोनी	118-ए	194.44	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज


राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

सहायुक्त जोन-8

जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


7	श्रीमती राजलता मीणा पत्नी श्री मदन लाल	श्रीमती विमला पत्नी श्री होशियार सिंह	161 पश्चिमी भाग	246.66	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
8	श्री अशोक महला पुत्र श्री घीसाराम महला	श्री अशोक पुत्र श्री घीसाराम	163	450.00	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
9	श्री लीलाराम पुत्र श्री नाथूराम	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री बालूराम	23-बी	159.88	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
10	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री पूरणमल	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री बालूराम	23-ए	213.88	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
11	श्री लीलाराम पुत्र श्री नाथूराम	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री बालूराम	23	55.00	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
12	श्री भागीरथमल पुत्र श्री रामेश्वर	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भागीरथमल	149 दक्षिणी भाग	266.66	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार-बी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
13	श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री बाबूलाल	38 व 39	473.70 व.ग. में से 236.85	शंकर भवन	शंकर नगर-बी	उपविभाजन/ लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजि.हकत्याग के आधार पर
14	श्री राकेश अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री बाबूलाल	38 व 39	473.70 व.ग. में से 236.85	शंकर भवन	शंकर नगर-बी	उपविभाजन/ लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजि.हकत्याग के आधार पर
15	श्री मनोज कुमार गौड़ पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गौड़	श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री सुरेश सैनी	81	266.66	श्री महावीर स्वामी	भवानी शंकर कालोनी	लीजडीड	सूची में नाम अंकित नहीं
16	श्री सुरेन्द्र कुमार जाट पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद जाट	श्री भागीरथ प्रसाद चौधरी पुत्र श्री रामनाथ चौधरी	51-ए	125.00	सुभाष सिंधी	स्कीम नम्बर-22	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजि.हकत्याग पत्र
17	श्री कुलजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह	श्रीमती सुदर्शन कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह	22	224.00	श्री छत्रपति	कमानी रोड	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजि.वसीयत

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उपायुक्त जोन-6

दूरआष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स - +91-141-2574553

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

18	श्रीबृजमोहन शर्मा पुत्र श्री ईश्वर चन्द शर्मा	श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री बृजमोहन शर्मा	जी-16 पश्चिमी भाग	113.66	श्रीजनता	विजयवाडी	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र रजि.हक त्याग के आधार पर
19	श्री विवेक शर्मा एवं श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्रान श्री कमलेश कुमार शर्मा	श्रीमती रतन देवी पत्नी श्री चौथमल जी शर्मा	386	416.60	म्युचुअल	स्कीम नम्बर-15ए शिवनगर	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	गोदनामा, रजि. उपहार पत्र

जन सम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-433 दिनांक 21.02.2023

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर-6
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त. जोन-1/2023/डी- 498


दिनांक:- 20/1/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	(1) श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद (2) श्रीमती ईमरता देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद	ए-634	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा एवं नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत इकरारनामा


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- ५९९

दिनांक:- 20/2/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री सुनित कुमार शं.ह	डी-356	जविप्रा	मालवीय नगर	नाम हतान्तरण	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.7/2023/डी-

दिनांक:

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र स	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	विरेन्द्र सिंह जाट	शिव सिंह बेनीवाल	61-ए	162.7	बुनियादी विकास	मां इन्द्र विहार सी	लीजडीड	साईट प्लान, आवंटन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, विक्रय पत्र

उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-7/ 2023/डी

360
17/2/23

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 358

दिनांक 16/2/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.रा./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अनिल राज सेठी पुत्र श्री हरीश चन्द सेठी	श्रीमती कौशल सेठी पत्नी श्री हरीश चन्द सेठी	ई- 857	36.93 वर्ग मी.	जविप्रा	वैशाली नगर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत वरीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त जसोब- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-359

दिनांक 16/2/2023

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	शूखण्ड संख्या	शूखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती शान्ति देवी गुप्ता पत्नी श्री श्रीराम गुप्ता	श्रीमती माया शर्मा पत्नी डॉ. शैलेन्द्र शर्मा	11	200.00 ब.ग.	निजी खातेदारी	लता नगर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत हक त्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के वृत्त पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 374

दिनांक 20/3/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	रीवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री गहेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलसिंह	श्री दल सिंह व जोरा सिंह पुत्रान श्री गुजर सिंह	ए-22 व ए-23	908.26 वर्गमी.	गोती भवन	हनुमान नगर-ए	नाम हस्तांतरण	अपंजीकृत वरीयता एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-7/2023/डी- 369

दिनांक 20/11/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना स्कीम नम्बर-05, अमर नगर के पुनर्गठित भू.स. 05, 06, 11 व 12 क्षेत्रफल 1793.71 वर्गगज की फ्री-होल्ड लीजडीड श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व. श्री टीकम चन्द गुप्ता, श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा, श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा एवं श्री रोहित गुप्ता पत्र श्री राधेश्याम गुप्ता के पक्ष में क्रमांक 4916 दिनांक 17.01.2023 को जारी की गई। श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व. श्री टीकम चन्द गुप्ता, श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा, श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा एवं श्री रोहित गुप्ता पत्र श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित मिश्रित (30 मीटर गहराई तक) तत्पश्चात आवासीय भू-उपयोग के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।


भवन विनियम-2020 के बिन्दु संख्या 21 के उपबिन्दु संख्या 6(i) अनुसार आवेदित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भाग मिश्रित उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आने की स्थिति में सम्पूर्ण भूखण्ड का मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर 160 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण दिशा की ओर 30 फीट चौड़ी रोड, पूर्वी दिशा की ओर भू.सं. 04 व 13 एवं पश्चिम दिशा की ओर भू. सं. 10 व 07 स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन-07 को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक को जारी की गयी।

32
सचिव 17/11/23
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-489
दिनांक:— 20-2-23

उपायुक्त
जोन-14, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102412

दिनांक: 20/02/2023

लोक सूचना

श्री KANHAIYA LAL YADAV पुत्र श्री BHAIRU LAL जाति YADAV निवासी B-44, BUDDH VIHAR, BUDHSINGHPURA, SANGANER, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडी गोकुलपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KANHAIYAILAL YADAV	792/90	701	0.0701
2.	खेडी गोकुलपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KANHAIYAILAL YADAV	790/90	2529	0.2529
कुल					0.323

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-02-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 370

दिनांक 20/2/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण हरिनगर गृ.नि.स.स.ति. की योजना शिव विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला तह. जयपुर	135	1.4796	1. कैलाश पुत्र श्योदान हिस्सा- 1/4 2. छोटीलाल पुत्र श्योदान हिस्सा- 1/4 3. नारायण पुत्र श्योदान हिस्सा- 1/4 4. राधेश्याम पुत्र श्योदान हिस्सा- 1/4 सर्वजाति- मीणा सा देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविदि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/धारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कम्परा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

उपायुक्त जोन-7
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-505

दिनांक: 20-2-23

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण श्री रामपुरा हाउसिंग कॉर्पोरेशन सोसायटी की आवासीय योजना गंगोत्री नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 सपटित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 सपटित धारा 90-क (5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
श्रीराम की नांगल	सांगानेर	833	0.69	श्री रामचन्द्र पुत्र भौरीलाल हिस्सा पूर्ण जाति गीणा सा. मकान नं. 2656 भिण्डो का रारता, जयपुर, खातेदार
		834	0.15	
		835	0.03	
		836	0.13	
		837	0.92	श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री रामचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति गीणा सा. मकान नं. 2656 भिण्डो का रारता, जयपुर, खातेदार
		838	0.15	
कुल	किता 06	कुल रकबा	02.07	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/ 2021/म.म.11 जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनीयों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनीयों में धारा 91 सपटित धारा 90-क (5) एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान (नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियम-2012 के नियम 4 में किए गए संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी.बी. टी.एफ-326 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावक्षित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक को जारी की जाती है।

Sd
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
- तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

Sd
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 372

दिनांक 20/11/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. की योजना विजय कॉलोनी-ए के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।


ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला तह. जयपुर	246	0.8726	<ol style="list-style-type: none"> कानाराम पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/24 जगदीश पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/24 दूली पत्नि स्व हनुमान हिस्सा- 1/24 नाबालिग बाबूलाल पुत्र महादेव संरक्षक संरक्षकमाता पार्वती हिस्सा- 1/8 रामचन्द्र पुत्र हनुमान हिस्सा-1/24 रामनारायण पुत्र भगवाना हिस्सा- 1/8 रामेश्वर पुत्र भगवाना हिस्सा -1/8 सुखाराम पुत्र हरनंदा हिस्सा- 1/6 सांवता पुत्र भगवाना हिस्सा- 1/8 हरिनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/6 सर्वजाति- मीना सा देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में

रूपायुक्त जान-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
संयोजक


आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/11/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा. जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर


उपायुक्त जोन-7
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....361

दिनांक.....12/2/23

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स.लि. की योजना- विजय कॉलोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
मीनावाला जयपुर	253	0.4932	1. प्रभूलाल पुत्र बीज्या, हिस्सा-1/4 2. भैरूलाल पुत्र बीज्या, हिस्सा-1/4 3. मूलीदेवी पत्नी बीज्या, हिस्सा-1/4 4. हीरालाल पुत्र बीज्या, हिस्सा-1/4 सर्व जाति माली सा. देह खातेदार


प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक. प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 352

दिनांक 16/11/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मित्र गृ.नि.स.स. की योजना अतिशय रेजीडेन्सी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्या नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
गिरधारीपुरा तह. जयपुर	56	5.6782	<ol style="list-style-type: none"> 1. अलवेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह, हिस्सा-85/6791 जाति- राजावत 2. कल्याण सिंह पुत्र भंवर सिंह कविया, हिस्सा-1/15 जाति- चारण 3. बरजी पत्नी राधेश्याम पुत्र रामनारायण, हिस्सा-1/5 जाति- हरियाणा ब्रह्मण 4. राजू पुत्र छोटीलाल, हिस्सा-1/15 जाति- हरियाणा ब्रह्मण 5. राजीव भार्गव पुत्र रघुवीर प्रसाद भार्गव, हिस्सा-85/6791 जाति- भार्गव 6. श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.लि. हिस्सा-1/5 7. शांतिलाल गोलछा पुत्र हुकुम चन्द गोलछा, हिस्सा-5516/33955 जाति- गोलछा 8. संजीव पुत्र रघुवीर प्रसाद, हिस्सा-85/6791 जाति- भार्गव 9. सूरज पुत्र छोटीलाल, हिस्सा-1/15 जाति- हरियाणा ब्रह्मण 10. हनुमान पुत्र रामनारायण, हिस्सा-1/5 जाति- हरियाणा ब्रह्मण

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

59
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



यू.ओ.नोट

विषय:- हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना सरस्वती नगर-ए की सूची के प्रकाशन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना सरस्वती नगर-ए का नियमन कैम्प दिनांक 27.02.2023 व 28.02.2023 का निर्धारित है। उक्त योजना की सूची का प्रकाशन हेतु संलग्न सूची भिजवाई जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

21/7
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट.क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-4/2023/डी.....399
दिनांक 20-02-2023

ज नाम :- इधरोई गढ़ी गृह निर्माण सङ्कारी सङ्गति 1970, जयपुर
 यो ज नाम :- हरसुखी नगर :- ए


क्र.सं०	मुख्यधारी का नाम	पितृ/पति का नाम	पता	मुखण्ड सं०	आवटन सं० व-दिनांक
1	डीव सिंह	मोलाराम	-	1	-
2	सुमील कुमार	सत्यप्रकाश	-	2	-
3	नैना देवी	मूलचंद मीणा	-	3	-
4	सुभाष चंद्र	रामधीनाल	-	4	-
5	ललित किशोर मीणा	रघुनाथ मीणा	-	5	-
6	शकुन्तला देवी	ललित किशोर	-	6	-
7	विमलेश देवी - सत्यनारायण	रणधीर सिंह चौधरी	-	7	-
8	कृष्ण अवतार	चिरंजीवाल	-	8	-
9	नोविन्द नारायण	रघुनाथ मीणा	-	9	-
10	हरिनारायण शर्मा	बोहरी ना	-	10	-
11	तीताराम मीणा	डीतरमल मीणा	-	10ए	-
12	मोहन लाल धामाणी	सदमीनारायण धामाणी	-	11	-
13	येदो शर्मा	हरिनारायण शर्मा	-	12	-
14	तविता पालीवाल	बी. पालीवाल	-	13	-
15	रामदुलारी अग्रवाल	सधुतुवन अग्रवाल	-	14	-
16	महेन्द्र कुमार	सोहन लाल	-	15	-




1	2	3	4	5	6
17	राधव प्रकाश	कल्याण सहाय शर्मा	-	16	-
18	युगान्तर	सविता पानीवाल	-	17	-
19	सुनिता अग्रवाल	शंकर लाल अग्रवाल	-	18	-
20	कंचन वर्मा	डा. अभमन वर्मा	-	19	-
21	लोहड़ी देवी	रूपा मल	-	20	-
22	मंजनी बाई	धीरमान मीणा	-	21	-
23	श्याम लाल मीणा	केदार लाल	-	22	-
24	सुनिता देवी	श्याम लाल मीणा	-	23	-
25	आशारानी	निखन गुप्ता	-	24	-
26	जगदीश प्रसाद	रामेश मीणा	-	25	-
27	खेन्द्र सिंह	मनोहर लाल	-	26	-
28	कल्याण सहाय	मोतीलाल	-	27	-
29	मिरचूमल	ठाकुरदास	-	28	-
30	शुमित्रा देवी	वेदप्रकाश	-	29	-
31	कुण्डा	रामकरम	-	30	-



1	2	3	4	5	6
32	रमेश चंद्र	रामदयाल	-	31	-
33	रामदयाल शर्मा	रामगोपाल शर्मा	-	32	-
34	गीता देवी	गंगातरण	-	33	-
35	शीला गुप्ता	जगदीश नारायण गुप्ता	-	34	-
36	प्रकाश चंद्र मीणा	मूलचंद्र मीणा	-	35	-
37	जलवाई मीणा	दयाराम मीणा	-	36	-
38	गिरिश कुमार	अमोलक दास	-	37	-
39	गिरीश कुमार मोहित	अमोलक दास	-	38	-
40	रामकृष्ण बोहरा	लक्ष्मीनारायण बोहरा	-	39	-
41	गुरली मनोहर बोहरा	लक्ष्मीनारायण बोहरा	-	40	-
42	रामानंद शर्मा	स्व०हरिशंकर शर्मा	-	41	-
43	चंद्रलेखा वाष्पेय	दिनेश	-	42	-
44	कुलदीप कौर	मुरारी लाल शर्मा	-	43	-
45	प्यारे लाल	कलवाराम	-	44, 45	-
46	ओमप्रकाश चौधरी	प्रहलाद चंद्र	-	46	-
47	गोपाल लाल मीणा	धन्ना लाल मीणा	-	47	-
48	हरनाथ	प्यारे लाल	-	48	-



1	2	3	4	5	6
49	गीता देवी	सुरेश चंद्र जैन	-	49	
50	कृष्णलाल चंदा	स्वप्नरसन चंदा	-	50	
51	किशन चंदा	मीठाराम	-	51	
52	गुल्लान सिंह प्रेक्षा	अमर सिंह	-	52	
53	रतन कुमार सिंह	हरनाम सिंह	-	53	
54	देवीलाल मीणा	हरफूल मीणा	-	54	
55	गौरी देवी	छुमाराम	-	55	
56	बमना राम मीणा	हरफूल मीणा	-	56	
57	अतुल गुप्ता	देवकी नंदन गुप्ता	-	57	
58	अशोक कुमार	हरिकृष्ण गोयल	-	58	
59	राजदुलारी	सत्यनारायण गुप्ता	-	59	
60	गोपाल लाल	मीश्रीलाल बंसल	-	60	
61	सुशीला देवी	बाबूलाल बंसाला	-	61	
62	प्रेम देवी	बाबूलाल मीणा	-	62	
63	विद्या चौधरी	बाबूलाल	-	63 5



1	2	3	4	5
64	विद्या चौधरी	बाबूलाल चौधरी	-	64
65	रामकिशोर मीणा	स्व०किशन लाल	-	65,66
66	राजद्वलारी पाठक	रामाशंकर	-	67
67	सीताराम रावत	चोधमल रावत	-	68
68	नरेश सिंह	मनवीर सिंह	-	69
69	महेश चंद्र जैन	हरप्रसाद जैन	-	70
70	मुन्नालाल अग्रवाल	नवरत्नमल	-	71
71	सूर्यप्रकाश श्यामसूखा	शुभकरण	-	72
72	कमला देवी	सी०रत्न०मीणा	-	73
73	हेमलता शर्मा	ओभप्रकाश शर्मा	-	74
74	राजेश कुमार यादव	बाबूलाल	-	75
75	शर्मिला यादव	राजेश कुमार यादव	-	76
76	नरेन्द्र प्रसाद	रघुवीर प्रसाद	-	77
77	किशन नारायण सप्रेक्षा	रामनारायण	-	78
78	रामजीलाल मीणा	पांचुराम मीणा	-	79
79	हरगोविन्द मीणा	सुलाराम	-	80




1	2	3	4	5	6
80	कमला बहल कश्यप	चंद्र प्रकाश कश्यप		91	
81	घनश्याम गुप्ता	ओमप्रकाश गुप्ता	-	92 ,93	
82	मनीषा मीणा	वृजलाल मीणा	-	94	
83	चावली देवी	नाथूलाल गढ़वाल	-	95	
84	गोविन्दी	नारायण सहाय		96,97	
85	विमला देवी	कृष्ण गोपाल	-	98	
86	मुन्नालाल पुरोहित	स्वदेवीलाल पुरोहित	-	99	
87	महेश कुमार	कानाराम खण्डेलवाल	-	100	
88	मधु कांठ	भरत सिंह कांठ	-	101	
89	डु० मीरंता शर्मा	धरमवीर शर्मा	-	102	
90	रागवतार गुप्ता	रुद्रमल गुप्ता	-	103	
91	चंद्रोखर	समरथ लाल	-	104	
92	जगमोहन मीणा	शंभोनारायण	-	105	
93	सरोज सक्सेना	अमीत सक्सेना	-	106	
94	कविता एल. आसनानी	लक्ष्मण दास	-	107	
95	राजश्री देवी	रतन सिंह	-	1087



1	2	3	4	5	6
96	बदामी देवी	लादूराम	-	109	
97	चिमला देवी	सहदेवा सिंह	-	110	-
98	पुष्पा अग्रवाल	रमेश चंद्र	-	111	-
99	झावर सिंह	बिरधीचंद	-	112	-
100	शरद जोशी	दामोदर जोशी	-	113	-
101	राधेश्वर लाल	सुरजमल	-	114	-
102	सरोज शर्मा	स्वामदन मोहन शर्मा	-	115	-
103	विमला देवी	सहदेव सिंह	-	116	-
104	महेन कुमार छण्डेलवाल	कानाराम	-	117	-
105	कुमारी निलम छण्डेलवाल	के. सी. छण्डेलवाल	-	118	-
106	रजनी सिंह	अशोक सिंह	-	119	-
107	संतोष देवी	बाबूलाल मीणा	-	120	-
108	प्रेम देवी	परसुराम मीणा	-	121	-
109	धन्याम रावत	हरसहाय रावत	-	122	-
110	राजवंती	स्वफूलसिंह मीणा	-	123, 124	-
111	मंडु सैनेना	तरन सक्सेना	-	125	-
112	काबुराम	बिरधीचंद	-	126	-



1	2	3	4	5	6
113	रमेश कुमार	मोहन लाल मुकरा	-	126ए	-
114	पुलवती मीणा	छोटन लाल मीणा	-	127	-
115	अशोक कुमार गुप्ता	गंगाधर गुप्ता	-	128	-
116	हरदेव काला	रच. एस. काला	-	129	-
117	गीता देव	मंवर सिंह	-	130	-
118	ओमप्रकाश	देवदत्त	-	130ए	-
119	विरेन्द्र खारी	हेमराज खारी	-	131	-
120	गीता यशमर	बी. एस. यशमर	-	132	-
121	सरोज देवी	दीनदयाल अण्डेलवाल	-	133	-
122	शीति लाल व्यास	हरदेव व्यास	-	134	-
123	मनोहसा देवी	भाग चंद्र	-	135	-
124	सुनिल कुमार	रमेश चंद्र	-	136	-
125	कजोड़ी बाई	श्रीराम मीणा	-	137	-
126	सरोज सिंह	हनुमान सिंह	-	138	-
127	अषा भुष्यर	जगदीश प्रसाद	-	139	-
128	हरिनारायण	कल्याण मीणा	-	140	-



1	2	3	4	5	6
129	कमल कुमार जैन	हृवःसूरजमल जैन	-	127ए	-
130	कल्याण महाय	भोतीलाल	-	27ए	-
131	रमेशो मीणा	तेजराम मीणा	-	117ए	-
132	मंचरी देवी	भोपाल सिंह	-	137ए	-
133	धेन्द्र यादव	शेर सिंह यादव	-	130बी	-
134	मीनाक्षी	झिगेर टेकचंद	-	47ए	-



सरस्वती नगर "ए" विस्तार

1	मगवान सिंह	हरदम सिंह	-	1	-
2	श्रंगार सिंह	हरदम सिंह	-	2	-
3	राजेश शर्मा	श्रीराम शर्मा	-	3	-
4	छांतर फल	भौरी लाल	-	4	-
5	लाखेंद जोनवाल	हीरालाल	-	5	-
6	प्रेमलता	धावर सिंह	-	6	-
7	डा.रमेश चंद्र	एच.आर. मीणा	-	7	-

10

1	2	3	4	5	6
8	डा.0 रमेश चंद्र मीणा	सच. आर. मीणा	-	8	-
9	चंद्र शेखर	हनुमान तहाय	-	9	-
10	बद्रीनारायण शर्मा	देवी तहाय शर्मा	-	15	-
11	दीपराज मीणा	हरफूल मीणा	-	16	-
12	मीना वर्मा	मदन लाल वर्मा	-	17	-
13	भागवत जैन	गुजर भल	-	18	-
14	नरेन्द्र कुमार शाह	जगदीश प्रसाद	-	19	-
15	गीता खींची	किशोरी लाल खींची	-	2बी	-
16					



§ " = : / x x / : = - " §



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 310 दिनांक- 21.2.2023

-:आम सूचना:-

निजी खातेदारी की योजना- आदि नगर का आवंटन/नियमन कराने हेतु आदि नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-मांग्यावास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र. सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-मांग्यावास तहसील-सांगानेर	371/1 371/578 376 377 377/521 378 379 442/579 442/580	0.18 0.04 0.91 0.40 0.37 0.19 0.34 0.04 0.02	आंशिक सम्पूर्ण आंशिक सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण आंशिक आंशिक आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
कुल		09	2.49 हैक्टेयर या योजना मानचित्रानुसार		


उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क्र.सं.	प्लॉट सं.	भूखण्ड स्वामी का नाम पिता/पति का नाम	क्षेत्रफल
1.	1	श्री विनीत गंगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	1679.24
2.	2	श्री विनीत गंगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	1086.50
3.	3	श्रीमती रीना जैन पत्नी श्री विनीत गंगवाल	1582.56
4.	4	श्री राहुल गंगवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	1272.78
5.	5	श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द गंगवाल	1130.01
6.	6	श्रीमती कुसुम गंगवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	1798.35
7.	7	श्रीमती कुसुम गंगवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल	868.37
8.	8	श्रीमती सुनीता गंगवाल पत्नी श्री राहुल गंगवाल	2696.89
9.	9	श्रीमती भूली देवी पत्नी स्व. श्री रामनाथ चौधरी	102.46

उक्त योजना- आदि नगर ग्राम-मांग्यावास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 27.02.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/-नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त,

जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-309 दिनांक-21.2.2023

--आम सूचना--

मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना- गंगा विहार का आवंटन/नियमन कराने हेतु सहकारी समिति द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बर के सम्पूर्ण भाग पर सृजित है।

क्र.स.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील-सांगानेर	240	0.44	सम्पूर्ण	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
कुल		1	0.44 हैक्टेयर या योजना मानचित्रानुसार		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल
1.	श्रीमती गंगा देवी	श्री शंकर सैनी	1	968.88
2.	श्रीमती लाली देवी	श्री बाबूलाल सैनी	2	966.66
3.	श्रीमती संतरा देवी	श्री मन्ना लाल सैनी	3	950.00
4.	श्री जितेन्द्र सैनी	श्री बाबूलाल सैनी	4	966.66

उक्त योजना- आदि नगर-ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 27.02.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियों की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर-12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपायुक्त,

जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त,

जोन पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-491

दिनांक 20/2/23

सार्वजनिक सूचना

आवेदक श्रीमती राजन शर्मा द्वारा ग्राम ग्वार ब्राह्मणान तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 980, 981, 982 कुल किता 03 कुल रकबा 0.54 हैक्ट. में से 0.4720 हैक्ट. 90बी शुदा भूमि पर आवासीय ग्रुपहाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में उक्त भूमि का आवासीय ग्रुपहाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन जाना प्रस्तावित है।

यदि उक्त आवेदन/अनुमोदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अविध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय जोन-14, जविप्रा में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त कालावधि में आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित रहे।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20/2/23 को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमती राजन शर्मा पत्नी श्री दामोदर शर्मा निवासी- 20, कैलाशपुरी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन स्वयं के स्तर से दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- ()/जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-518

दिनांक 20/2/23

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की आवासीय योजना वीआरबी स्पार्कल का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिविर आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	आयोजित कैम्प दिनांक	आयोजित कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	ग्राम/तहसील	योजना का नाम
1	23.02.23	जेडीए, परिसर	वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन पंजी. कार्यालय, 22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर श्रीमती कृष्ण मोहनी पत्नी श्री भगवान प्रसाद भामगेन प्लाट नं. 86, रामनगर, सोडाला जयपुर श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री ओ. पी. चौधरी प्लाट नं. सी-18, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर।	महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला एवं मुहाना	वीआरबी स्पार्कल

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
- वीआरबी ड्रीम होम्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धीरज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन पंजी. कार्यालय 22, मोनिका विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर श्रीमती कृष्ण मोहनी पत्नी श्री भगवान प्रसाद भामगेन प्लाट नं. 86, रामनगर, सोडाला जयपुर श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री ओ.पी. चौधरी प्लाट नं. सी-18, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2023/डी- 442


दिनांक : 13/2/23


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मुन्नालाल गुप्ता पुत्र श्री राम गुप्ता	श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता पत्नी श्री मुन्नालाल गुप्ता	A-295	194.62 वर्गमीटर	निजी खातेदारी की योजना	मंगलम पार्क व्यू	नाम हस्तान्तरण हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावे।


उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।


उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-5803

दिनांक 20-2-2023

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कमला तिवाडी पत्नी श्री राधेश्याम तिवाडी	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल	43	140.8	भैरव गृह	आर्मी नगर	फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, व मुख्तियारनामा-आम

आवेदक द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री विनित्त शर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा	श्रीमती सुनिता शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा	43	138.8 वर्गगज	सिरसली गृ. नि.स.स.	रामेश्वरम्	लीजडीड हेतु	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र व शपथ पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।


21/02/23
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-5827

दिनांक 21-2-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102415

1770

DATED-21/04/2023

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री. कमल किशोर दुआ पुत्र स्व. श्री राजा राम दुआ निवासी प्लांट न. 55, नन्दपुरी मालवीय नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-गोनेर तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री कमल किशोर दुआ पुत्र स्व. श्री राजा राम दुआ निवासी प्लांट न. 55, नन्दपुरी मालवीय नगर, जयपुर	3760/718	0.1250 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.1250 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/04/23 को जारी की गयी।

सुप्रसिद्ध अधिकारी जोबेश्वरी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन करके जारी हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोब-9
सुप्रसिद्ध अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरआष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { abusufiyan ras@gmail.com }



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102416

769

DATED-21/02/2023

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती जय लक्ष्मी दुआ पत्नी श्री कमल किशोर दुआ निवासी प्लांट न. 55, नन्दपुरी मालवीय नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-गोनेर तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्रीमती जय लक्ष्मी दुआ पत्नी श्री कमल किशोर दुआ निवासी प्लांट न. 55, नन्दपुरी मालवीय नगर, जयपुर	3761/718	0.1250 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.1250 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/02/23 को जारी की गयी।

उप्राधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन करके ज्ञाने प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
उप्राधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320): फैक्स- 91-141-2574555

ई-मेल {abusufiyan.ras@gmail.com}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-377

दिनांक 20/2/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती कमलेश राठौड़ पत्नी श्री रणजीत सिंह राठौड़	श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री जीतन्द्र सिंह शेखावत	ई-33	444.4 व.ग.	गोती भवन गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर 5 ई	फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र
2	श्री रणजीत सिंह राठौड़ पुत्र श्री गेंवर सिंह राठौड़	श्रीमती मोनीका आनंद पुत्री श्री ओ.पी. आनंद	ई-31	444.4 व.ग.	गोती भवन गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर 5 ई	फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र
3	श्रीमती कमलेश राठौड़ पत्नी श्री रणजीत सिंह राठौड़	श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी श्री गोवर्धन सिंह राजावत	ई-32	444.4 व.ग.	गोती भवन गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर 5 ई	फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत बरीयतनामा, सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-415-

दिनांक:- 21/2/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षे0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामप्रसाद बैरवा पुत्र श्री चंदाराम	श्री रामलाल पुत्र श्री केसर लाल	552	—	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 13.12.2009 के आधार पर
2	श्री किशन लाल यादव पुत्र श्री रघुनाथ सहाय यादव	श्री रघुनाथ सहाय यादव पुत्र श्री आनीलाल यादव	दुकान संख्या 62	40.50 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 20.06.2022 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जयपुर
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 408

दिनांक 20/2/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटनी का नाम	मू.सं.	भू.क्ष.	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री बिरदीचंद पुत्र श्री कालूराम बैरवा	स्वयं	95-बी	111.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साइट प्लान व रसीद में योजना का नाम भिन्न होने से।
2	श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री राजेन्द्र गुप्ता	श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा	43	183.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साइट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
3	श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री बाबूलाल अग्रवाल	स्वयं	69	300	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साइट प्लान व रसीद में योजना का नाम भिन्न होने से।
4	श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री सोनीराम शर्मा	स्वयं	95-ए	115.55	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साइट प्लान व रसीद में योजना का नाम भिन्न होने से।
5	श्री प्रेम सिंह शाक्य, मेघ सिंह शाक्य पुत्रान श्री बाबूराम शाक्य	श्री कालूराम चौधरी पुत्र श्री चतुर्भुज चौधरी	62बी	138.88	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में एक ही आवेदक का नाम अंकित होने से।
6	श्री श्योकरण बैरवा पुत्र श्री रामचंद्र बैरवा	स्वयं	116	166.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साइट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
7	श्री रामनिवास चंदेल पुत्र श्री सहराय	स्वयं	98	53.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र में कांट छांट होने से।
8	श्रीमती कविता दिक्षीत पत्नी श्री दीपक कुमार दिक्षीत	स्वयं	12	208.80	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साइट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

9.	श्रीमती सावित्री देवी विष्ट पत्नी श्री रणवीर सिंह बिष्ट	स्वयं	65	300	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
10.	श्री गोविन्द राम पुत्र श्री पुरुलाल शर्मा	स्वयं	137बी	61.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
11.	श्री किशोर बेनीवाल पुत्र श्री रामपाल	श्री शिव चरण पुत्र श्री कुसुम सिंह	61	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
12.	श्री रामवतार महावर पुत्र श्री रामसहाय महावर	स्वयं	91-सी	106.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद में योजना का नाम भिन्न होने से।
13.	श्रीमती मीना सिंह पत्नी श्री रामआसेर	स्वयं	21 ए	93.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान व रसीद में योजना का नाम भिन्न होने से।
14.	श्रीमती चंद्रा देवी पत्नी श्री बाबूलाल	श्री भागीरथ रैगर पुत्र श्री भौरी लाल रैगर	59	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
15.	श्री चांदमल खटीक पुत्र श्री सोहन लाल	श्री सुरेश पुत्र श्री रामशरण लाल	124 (साउथ पार्ट)	83.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
16.	श्री रतिराम चंदेल पुत्र श्री सोहन लाल	श्री सुरेश पुत्र श्री रामशरण लाल	124 (नोर्थ पार्ट)	83.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
17.	श्री मुकेश शर्मा एवं छोटूलाल पुत्र श्री भैरूलाल	श्री सी.बी. पंजाबी पुत्र श्री पी.एन पंजाबी	86 (वेस्ट पार्ट)	165.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम अंकित होने एवं साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
18.	श्री मुकेश माहेश्वरी पुत्र श्री कैलाश चंद माहेश्वरी	श्री सी.बी. पंजाबी पुत्र श्री पी.एन पंजाबी	86	166.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
19.	श्री जगदीश नारायण शर्मा एवं श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	-	5ए	166.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम अंकित होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

20.	श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री एन.एल शर्मा	स्वयं	140	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
21.	श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री बजरंग लाल सैनी	स्वयं	142	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
22.	श्रीमती मनभर देवी पत्नी श्री लादूराम बैरवा	श्रीमती ललीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र बैरवा	58ए	100	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 58ए अंकित नहीं होने एवं अपंजीकृत बैचान होने से।
23.	श्रीमती मनभर देवी पत्नी श्री लादूराम बैरवा	श्री बृज मोहन पुत्र श्री रामनारायण बैरवा	58	100	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 58 पर किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने एवं अपंजीकृत बैचान होने से।
24.	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री ब्रजमोहन शर्मा	श्री रामफूल मीणा पुत्र प्रताप नारायण मीणा	107	320	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
25.	श्री हरिनारायण बैरवा पुत्र श्री कजोड बैरवा	स्वयं	134	133.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	आवंटन पत्र में काट-छाट होने से।
26.	श्री विनोद कुमार खटिक पुत्र श्री सोहन लाल एवं श्रीमती सुनिता पत्नी श्री विनोद कुमार	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा पुत्र श्री जमनालाल बैरवा	158ए	86.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	प्रस्तुत सदस्य सूची में एक व्यक्ति का नाम अंकित होने एवं मानचित्र में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
27.	श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन	श्रीमती रागिनी अवस्ति पत्नी श्री एस.डी. अवस्ति	110सी	96	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

28.	श्री विशाल जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन	श्रीमती रागिनी अवस्ति पत्नी श्री एस.डी. अवस्ति	110बी	96	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा होने से।
29.	श्री टिना जैन पत्नी श्री विकास जैन	श्रीमती रागिनी अवस्ति पत्नी श्री एस.डी. अवस्ति	110ए	96	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा होने से।
30.	श्री विकास कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन	श्रीमती रागिनी अवस्ति पत्नी श्री एस.डी. अवस्ति	110(वेस्ट पार्ट)	138.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा होने से।
31.	श्रीमती मंधोरी देवी पत्नी श्री नरेश मौर्य	महावीर सिंह पुत्र श्री सुदाराम शर्मा	101	400	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
32.	श्री गोविन्द प्रसाद साहू पुत्र श्री सुरजमल साहू	श्रीमती नारंगी देवी पत्नी श्री आनी लाल	130	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने एवं रुदस्य सूची में नाम अंकित नहीं होने एवं अपजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बंधान होने से।
33.	श्री अजय बैरवा पुत्र स्व. श्री तेजराम बैरवा	श्री तेजराम पुत्र श्री घासीराम	128	138.88	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा एवं हकत्याग होने से।
34.	श्रीमती अन्ना देवी पत्नी श्री बाबूलाल	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री शारदा प्रसाद शर्मा	19ए	75.20	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्य सूची में भू.स. 13ए अंकित नहीं होने से।
35.	श्री ग्यारसी लाल पुत्र श्री रामदेव	स्वयं	171ए	70	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईड प्लान में काट-छाट होने से।
36.	श्री नवीन कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	श्री अजय दास बैरागी पुत्र श्री रमेशदास	29	152.78	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्य सूची में एक ही आवेदनकर्ता का नाम अंकित होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

	एवं सरिता गुप्ता पत्नी श्री नवीन गुप्ता	बैरागी						
37.	श्री नरेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री ग्यारसी लाल बैरवा	स्वयं	72	150	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में सोसायटी के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने एवं योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
38.	श्रीमती मधु जैन पत्नी श्री सुरेश जैन	श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा	63डी	111.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
39.	श्रीमती ममता जैन पत्नी श्री राजेश कुमार जैन	श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा	63डी-ए	111.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भू.स. 63डी-ए अंकित नहीं होने से।
40.	श्रीमती कांति देवी पत्नी श्री नाथूलाल	स्वयं	128ए	138.88	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
41.	श्रीमती अहिल्या कनोजिया पत्नी श्री सुभाष कनोजिया	श्री सुभाष कनोजिया पुत्र श्री लालजी कनोजिया	21	93.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र एवं साईट प्लान में योजना का नाम भिन्न होने से।
42.	श्री दयानन्द महावर पुत्र श्री भंवर लाल महावर	स्वयं	120ए	111.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भू.स 120 ए अंकित नहीं होने से।
43.	श्रीमती सन्जू अग्रवाल पत्नी श्री वीरू गोयल	श्री रामदास महावर पुत्र श्री पिल्लूराम महावर	07	190	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र एवं साईट प्लान में योजना का नाम भिन्न होने से।
44.	श्री बद्री नारायण शर्मा पुत्र श्री मंगलराम	स्वयं	99	213.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	स्थल मानचित्र की मोहर में दिनांक भिन्न होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

45.	बाबू सिंह पुत्र श्री शिवरतन सिंह	स्वयं	136	150	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची के उक्त भूखण्ड में नाम में भिन्नता होन से।
46.	श्री दीप चन्द्र पुत्र श्री रामदेव	स्वयं	85	166.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या-85 अंकित नहीं होने से।
48.	श्री सीताराम रैगर पुत्र श्री मन्नाराम रैगर	स्वयं	63बी	133.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में अलग नाम अंकित होने से।
49.	श्रीमती गौरा देवी पुत्री श्री बन्ना लाल गुर्जर	स्वयं	100	176	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	आवंटन पत्र एवं साईट प्लान में योजना का नाम भिन्न होने से।
50.	श्रीमती संजया देवी पत्नी श्री रामदयाल धानका	स्वयं	49	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
51.	श्री सीताराम रैगर पुत्र श्री मन्नाराम रैगर	स्वयं	63 डी	133.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
52.	श्री दीपचंद पुत्र श्री रामदेव	स्वयं	85	166.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में भूखण्ड संख्या 85 अंकित नहीं होने से।
53.	श्री मोहन लाल बैरवा पुत्र श्री रामदेव	स्वयं	54	186.66	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
54.	श्री रामस्वरूप गुर्जर पुत्र श्री चंदा लाल गुर्जर	स्वयं	1	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने अपजीकृत दस्तावेजो से बैचान होने से।
55.	श्री सलीम पुत्र कम्मनुदीन	स्वयं	38	83.33	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फी होल्ड	सदस्या सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-

दिनांक

56.	श्रीमती मीना सिंह एवं विजय सिंह	स्वयं	19	70	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	सदस्या सूची में एक व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।
57.	श्री योगेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री धर्मराम गुर्जर	श्री राजकुमार चानना पुत्र श्री वी.एन. चानना	81	100	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
58.	श्रीमती लाड कुमारी गुर्जर पत्नी श्री अजय सिंह गुर्जर	श्री राजकुमार चानना पुत्र श्री वी.एन. चानना	81 (वेस्ट पार्ट)	100	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने से।
59.	श्रीमती भंवरी देवी मीना पत्नी श्री हरसहाय मीना	स्वयं	60	200	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में योजना का नाम अंकित नहीं होने एवं कांट छांट होने से।
60.	श्रीमती गीता देवी सैनी पत्नी श्री श्योराज सैनी	स्वयं	137 बी	61.11	बंधु गृ.नि.स.स.	24 विमान विहार	फ्री होल्ड	साईट प्लान में कांट छांट होने से।
61.	श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री छीतर मल शर्मा	श्री प्रभू नारायण	49	107.99	विकास समिति	महादेव नगर	फ्री होल्ड	दस्तावेज गुम होने पर एफ.आई.आर. खोया पाया की रिपोर्ट, शपथ पत्र आदि होने से।
62.	श्री बंशी लाल मुहाना पुत्र स्व० श्री भवंर लाल मुहाना	श्री मोहन लाल जौशी पुत्र स्व० श्री रामानंद जौशी	180	200	बंधु गृ.नि.स.स.	स्कीम नम्बर 27 सचिवालय विहार	फ्री होल्ड	हक-त्याग, सजरा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555